न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन संख्या :– 267/2025
जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025/433

प्रार्थी बनाम विप्रार्थीगण

तगीया उर्फ भेराराम पुत्र पुनमाराम
जाति कुम्हार (प्रजापति)
निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा
व जिला बालोतरा

1.अशोककुमार पुत्र केसाराम
जाति कुम्हार (प्रजापति)
निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा
2.ओमप्रकाश पुत्र धर्माराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी बालोतरा
3.जगदीश पुत्र केसाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी बालोतरा
4.तेजाराम पुत्र धर्माराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी बालोतरा
5.भंवरलाल पुत्र धर्माराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी बालोतरा
6.मदनलाल पुत्र केसाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी बालोतरा
7.मोहनलाल पुत्र केसाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी बालोतरा
8.हीरालाल पुत्र केसाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी बालोतरा
9.धर्माराम पुत्र पुनमाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी बालोतरा
10.भीमाराम पुत्र पुनमाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी बालोतरा
11.मिश्रीमल पुत्र मीठालाल जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी बालोतरा
12.अशोकसिंह पुत्र खीमसिंह
जाति पुरोहित निवासी बालोतरा
13.आशा अरोड़ा पत्नि मुरली मनोहर
जाति खत्री निवासी जोधपुर
14.पुखराज पु ताराराम जाति सुथार

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

निवासी सिवाना तहसील पचपदरा

15.पप्पुदेवी पत्नि छगनाराम जाति कुम्हार निवासी क्यार चारणान

16.प्रमेन्द्र पुत्र मदनेश जाति ओसवाल निवासी बालोतरा

17.फुलकंवर पत्नि श्यामजी
जाति अग्रवाल निवासी जोधपुर

18.बुद्धाराम पुत्र जैनाराम जाति सुथार निवासी कनाना तहसील पचपदरा

19.बाबुलाल पुत्र सोनाराम जाति सुथार निवासी आसोतरा तहसील पचपदरा

20.भगाराम पुत्र वेलाराम जाति सुथार निवासी सिवाना तहसील सिवाना

21.मिठालाल पुत्र डायाराम जाति सुथार निवासी जसोल तहसील पचपदरा

22.रमेशकुमार पुत्र पुनमचंद जाति सुथार निवासी आसोतरा तहसील पचपदरा

23.वीणा सुराणा पत्नि भगवतसिंह
जाति जैन निवासी जोधपुर

24.हड़मानराम पुत्र बादरजी प्रजापत निवासी पारलू

25.कमलादेवी पत्नि टीकमाराम
जाति जाट निवासी बालोतरा

26.तेजाराम पुत्र पूराराम जाति जाट निवासी बालोतरा

27.वीरादेवी पत्नि अमरसिंह जाति जाट निवासी आदर्श चवा

28.नगर परिषद बालोतरा

29.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति-

1.श्री पीराराम प्रजापत अधिवक्ता प्रार्थी

2.श्री चन्द्रप्रकाश गुप्ता अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 28

4. विप्रार्थी संख्या 1 से 27 एकपक्षीय

आदेश

दिनांक 23.01.2026

1.संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम जैरला तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1065/403,1067/118 व 1068/558 कुल क्षेत्रफल 1.5864 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। अतः प्रार्थी द्वारा ग्राम जैरला तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1065/403,1067/118 व 1068/558 कुल क्षेत्रफल 1.5864 हैक्टेयर भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2.प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। अधिवक्ता श्री चन्द्रप्रकाश गुप्ता द्वारा विप्रार्थी संख्या 27 की ओर से वकालतनामा पेश किया गया। विप्रार्थी संख्या 28 अधिवक्ता को जवाब पेश किए जाने के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी जवाब पेश नही किए जाने पर जवाब बन्द किया गया। विप्रार्थी संख्या 1 से 27 व 29 को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण विप्रार्थी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.हमनें उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की बहस सुनी। प्रार्थी अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम जैरला तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1065/403,1067/118 व 1068/558 कुल क्षेत्रफल 1.5864 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृति का होने के कारण आये दिन प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करता रहते है। प्रार्थी द्वारा विप्रार्थी को मना करने के उपरांत भी विप्रार्थी प्रार्थी की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

करने में बाज नहीं आ रहे है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम जैरला तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1065/403,1067/118 व 1068/558 कुल क्षेत्रफल 1.5864 हैक्टेयर भूमि की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

4.इसके विपरीत विप्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी की ओर से मनगढन्त तथ्यो के आधार पर आवेदन पत्र पेश किया गया है,जो चलने योग्य नही है। क्योकि विप्रार्थी की ओर से प्रार्थी की खातेदारी भूमि मे दंखलदान्जी नही की गई है। जबकि प्रार्थी आए दिन सीमाओ को लेकर विप्रार्थी पक्ष से विवाद करतर रहता है। प्रार्थी द्वारा गलत तथ्यो के आधार पर आवेदन पेश किए जाने के कारण प्रार्थी का आवेदन खारिज किया जावे।

5.हमने उभयपक्ष अधिवक्ताओ की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम जैरला तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1065/403, 1067/118 व 1068/558 कुल क्षेत्रफल 1.5864 हेक्टयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2079—2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार होने के कारण विवादित भूमि की सीमाओ को लेकर सेढा पड़ौसीयो मे सीमा विवाद होना बताकर विवादित भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 आर.एल.आर. का उल्लेख करना उचित समझते है,जिसके अनुसार :—**धारा 128 सीमा विवाद**—सम्बन्धी समस्त विवाद भू—अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेगें:

1.(परन्तु खेतो के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन—पत्र,जहां यधपि ऐसी सीमा के विषय मे कोई विवाद विधमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठानें की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेगें तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेगें)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है,कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादो का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 13.6.2024 के अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं में विवाद होने का उल्लेख नही है। ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128(1) के अनुसरण में निर्विवाद मामलो को तहसीलदार द्वारा निपटाया जाना है,अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत् तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना—पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते हैं।

—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन—पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आशिंक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम जैरला तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1065/403,1067/118 व 1068/558 कुल क्षेत्रफल 1.5864 हैक्टेयर भूमि की पैमाईश करने हेतु एक राजस्व टीम का गठन कर मुस्तकिल बिन्दु से

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

विवादित आराजी की सीमाओं का चिन्हिकरण करते हुए पैमाईश कर विधिनुसार कार्रवाई करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है। उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिए नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर की जावें।

23/01/2026

(अशोककुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 23.01.2026 लिखा जाकर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

23/01/2026

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा